पाठ 19

राज्य स्तर पर शासन

इस पाठ में राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद्, विधानसभा, विधान परिषद्, उच्च न्यायलय आदि के बारे में बातचीत करेंगे | जिस तरह राष्ट्रपति भारत संघ का प्रधान होता है उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है | वह राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता तथा परामर्श के आधार पर कार्य करता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में संविधान ने उसे अपने विवेक के आधार पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की है | राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर करता है |

राज्यपाल पद पर नियुक्त के लिए व्यक्ति में निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है |

वह भारत का नागरिक हो |

उम्र कम से कम 35 वर्ष हो|

संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो |

संघ, राज्य या स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो |

राज्यपाल की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए की जाती है | राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रु. प्रतिमाह व भत्ते तथा सुविधाओं के साथ ही किराया, मुक्त आवासीय सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं | राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है | राज्यपाल को कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय, न्यायिक व विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं |

मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद

राज्य प्रशासन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के योग से सरकार का गठन होता है | मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है | राज्य विधानसभा के बहुमत दल को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है | मुख्यमंत्री की परामर्श से राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है |

राज्यपाल तथा विधानमंडल

राज्यपाल राज्य का अभिन्न अंग है | विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक भी सकता है | राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है कि वह राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाये |

राज्यपाल तथा संघ सरकार

राज्य में संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे राज्यपाल को संघ के साथ नियमित तथा घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखना होता है | वह राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन व विधि व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट भेजता है | रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है |

मुख्यमंत्री-

कार्यकाल ,भूमिका ,शक्तियां

किसी राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर करता है | मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है | मुख्यमंत्री विधानमंडल के बहुमत प्राप्त अथवा गुट का नेता होता है | मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद अपने पद पर तब तक आसीन रहते है, जब तक उसे राज्य विधनासभा मे बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है | मंत्रिगण सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा मे बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है|

मंत्रिगण सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते है | मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा व अपने राजनीतिक दल का नेता होता है | मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता व विभिन्न विभागों के बीच समन्वय व विवादों और मतभेदों को सुलझाता है व प्रशासनिक मामलों मे परामर्श देता है | मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच सूचना का माध्यम मुख्यमंत्री होता है |राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के बारे मे सूचनाएँ तथा प्रस्तावित विधायकों के सम्बन्ध मे सूचना मांग सकता है |

राज्य विधानमंडल :- विधानमंडल के दो सदन होते है | 1 विधानसभा 2 विधानपरिषद |

विधानमंडल का प्रधान कार्य कानून बनाना होता है व विधानसभा राज्य मंत्रीपरिषद् पर नियंत्रण रखती है | विधानसभा के सदस्य राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं | प्रत्येक राज्य विधानमंडल में विधानसभा होती है | विधानसभा चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाते हैं |

सार्वभौमिक मताधिकार:- जब जनता को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा इनमें से किसी के आधार पर मताधिकार से वंचित किए गए बगैर मतदान कर अपना प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त हो इसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं | भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है | विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक व 60 से कम नहीं होनी चाहिए | गोवा, सिक्किम तथा मिजोरम राज्यों में 60 से कम सदस्यों वाली विधानसभाएँ हैं | विधानसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विशेष आरक्षित रखा गया है | मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा व राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्य की विधानसभा को स्थगित या भंग किया जा सकता है | विधानमंडल के द्वितीय सदन को विधानपरिषद कहा जाता है | विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होना चाहिए | व इनका निर्वाचन 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है | विधानपरिषद में सदस्य पद की निर्वाचन प्रक्रिया में प्रत्येक दूसरे वर्ष इस सदन के एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं व रिक्त पदों को भरने के लिए सदस्यों का चुनाव होता है |

विधानसभा और विधानपरिषद् की सदस्यता हेतु योग्यताएँ -

वह भारत का नागरिक हो |

विधानसभा की सदस्यता हेतु 25 वर्ष व विधानपरिषद हेतु 30 वर्ष आयु प्राप्त कर ली गई है|

सरकारी या लाभ के पद पर आसीन न हो |

विधानसभा के पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष कहते है | विधानसभा अध्यक्ष की सफलता सदन में उसके स्वतंत्र तथा निष्पक्ष आचरण तथा व्यवहार पर निर्भर करती है | विधानसभा के पीठासीन सदस्य को सभापति कहते हैं |

भारत में जिन विषयों पर संसद कानून नहीं बनाती है | उन विषयों पर विधानमंडल कानून बनाती है | राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं | राज्य विधानसभा संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्य मंत्रिपरिषद पर लगातार निगरानी और नियंत्रण रखती है | राज्य विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होता है |

उच्च न्यायालय :-

भारत में स्वतंत्र और समेकित न्यायपालिका की व्यवस्था के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालयों की व्यवस्था की गई है | संसद कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना कर सकती है | उदाहरण के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम के अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के उच्च न्यायालयों के रूप मे कार्य करता है | प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा समय -समय पर निर्धारित की जाती है | न्यायाधीशों की संख्या प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक समान नहीं होती है | उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के पद पर राज्य से बाहर के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है |

किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तभी नियुक्त किया जा सकता है|

वह भारत का नागरिक हो |

भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण करा चुका हो |

किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो |

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है | राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता या प्रमाणित कदाचार के आरोप के आधार पर पदच्युत कर सकता है | उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रूपये प्रतिमाह है |

किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का विस्तार सम्बन्धित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमा तक होता है | उच्च न्यायालय को प्रारंभिक व अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है |

प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अधीन कुछ खास किस्म के मुकदमे सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जाती है | उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों व उच्च वैधानिक को प्रवर्तित करने के सम्बन्ध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है | इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय को 'रिट' जारी करने की शक्ति प्राप्त है |

रिट का अर्थ:- यह एक न्यायिक आदेश है जो कि किसी व्यक्ति के अधिकार की रक्षा का उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है |

उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले से कानून का कोई प्रश्न जुड़े होने के मामले को अपने पास मंगवा सकता है | उच्च न्यायालय अपीलीय व अभिलेखों से जुड़े सभी न्यायिक कार्य भी देखता है | इस प्रकार हम कह सकते है कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है | उच्च न्यायालय के अधीन जिला तथा मंडल स्तरों पर अधीनस्थ न्यायालय दो प्रकार के होते हैं | 1 दीवानी न्यायालय 2 फौजदारी न्यायालय

दीवानी न्यायालय द्वारा संपति, मुद्रा, लेन-देन, अनुबंध, किरायेदारी अधिकार, विवाह सम्बन्धी विवाद, तलाक आदि विषयों से सम्बंधित विवादों को निपटाया जा सकता है व फौजदारी न्यायालयों द्वारा भारतीय दंड संहिता से सम्बंधित जैसे चोरी, डकैती, मारपीट व अपहरण आदि की सुनवाई की जाती है | प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीश व मुंसिफ के न्यायालय होते हैं | केंद्र की तरह भारत में हर राज्य का अपना अपना सचिवालय है | यह राज्य की राजधानी मे स्थित होता है | प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के मुख्यालय सचिवालय में स्थित होते हैं | एक विभाग में सचिव के अलावा मंत्री, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव आयुक्त, उप सचिव, अपर सचिव व सह सचिव भी होते हैं | सचिवालय राज्य प्रशासन की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण में मंत्रियों को सहायता एवं परामर्श देता है व कार्यों का मूल्यांकन करता है | राज्य प्रशासन के लिए संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है |

सचिव :- सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है | मुख्य सचिव सभी प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री के परामर्श व मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करता है व क्षेत्र विशेष में पर्यवेक्षक, नियंत्रक व समन्वयक की भूमिका का निर्वाह भी करता है |